UPJS010020002024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- पी० एन० मिश्र, एच०जे०एस०

(JO Code No- UP06548)

सत्रवाद संख्या- ४८५/ २०२४

सरकार बनाम अजय सिंह उर्फ शीलू आदि

अ०सं०- १८/ २०२४

धारा- ३२३, ५०४, ३०७, ३४, १२०बी भा०द०सं०

थाना- बबीना, जिला झाँसी।

दिनांक- ०६. ०८. २०२४ निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- २२७ दं०प्र०सं० १३बी, १६बी व १७बी -

१- पत्रावली पेश हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण को उन्मोचन प्रार्थना पत्र १३बी, १६बी व १७बी पर सुना गया।

२- आवेदक/ अभियुक्तगण भारत सिंह उर्फ बब्लू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह व श्रीमती सुषमा की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र १३बी, अभियुक्त अजय सिंह उर्फ शीलू की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र १६बी एवं अभियुक्त चन्द्रपाल की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र १७बी अन्तर्गत धारा- २२७ दं०प्र०सं० इस आशय से प्रस्तुत किये गये हैं कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है, वह बेगुनाह व बेकसूर हैं, उन्हें प्रकरण रंजिश के कारण झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व चुटैलों के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि चुटैलों को आई चोटें गम्भीर प्रकृति की नहीं है। वादी मुकदमा व चुटैलों के बयानों में विरोधाभाष है। मामले में विवेचना सहीं नहीं की गयी है। वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह सेंगर सब इन्सपेक्टर पुलिस से रिटायर है, इस कारण थाना मऊरानीपुर की पुलिस ने वादी मुकदमा से मिलकर बिना डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त किये ही धारा ३०७ भा०द०सं० में रिपोर्ट पंजीकृत कर ली। चुटैल रवीन्द्र सिंह के बायें कंधे पर फ्रैक्चर व घनेन्द्र सिंह के दायें तरफ सीने में ९वीं व १०वीं पसली में फ्रैक्चर दर्शाया गया है, उक्त चोटों से धारा- ३०७ भा० के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता है। चुटैलों को आई चोटें प्राणघातक नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट ७ घण्टे के अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं है। वादी ने घटना का हेतुक (Motive) जमीन की पैमाइश कराने को लेकर मारपीट करना बताया है। प्रार्थी अभियुक्त चन्द्रपाल वादी के परिवार का नहीं है, न ही उसकी वादी के आस- पास खेती की जमीन है और न ही उसका वादी व उसके परिवार से जमीन के विवाद को लेकर कोई भी जमीनी मुकदमेंबाजी चली है। चुटैल रविन्द्र सिंह, घनेन्द्र सिंह का चिकित्सीय परीक्षण घटना के ७ घण्टे के विलम्ब से करायी गयी है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि चटैलों को कोई गम्भीर चोटें नहीं आयी थी, न ही भर्ती रहे अपितु सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो Non Vital Part पर सख्त व कुन्दाल वस्तु से आना पाई गयी थी, जो धारा ३०७ भा०द०सं० की परिधि में नहीं आता है। मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी चन्द्रपाल के पुत्र विवेक उर्फ बृजभान ने वादी राजेन्द्र पुत्र अमृत सिंह के विरुद्ध दिनांक ०६. १२. २०२० को एन०सी०आर० सं०- २२३/ २०२० धारा ३२३, ५०४ भा०द०सं० थाना मऊरानीपुर में दर्ज कराया था, जिसके उपरान्त न्यायालय जे०एम० मऊरानीपुर द्वारा उक्त एन०सी०आर० में जांच कराने हेतु १५५(२) दं०प्र०सं० में मु०सं०- ३६१/ २०२० में आदेश कराया था, जिसमें न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी वादी मुकदमा को भली- भांति है और रंजिश मानते हुए पुलिस से सांठ- गांठ करके झूंठा मुकदमा में प्रार्थी/ अभियुक्त चन्द्रपाल का नाम लिखा दिया है। प्रार्थी चन्द्रपाल राजस्व विभाग से रिटायर्ड व्यक्ति है। अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/ अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की याचना की

गयी है।

३- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ शीलू, भारत सिंह उर्फ बबलू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह, चन्द्रपाल सिंह व श्रीमती सुषमा के विरूद्ध धारा- ३२३, ५०४, ३०७, ३४, १२०बी भा०द०सं० के अन्तर्गत मामला पंजीकृत हुआ। अभियोजन के अनुसार कथित घटना में वादी मुकदमा के भाई रवीन्द्र सिंह व घनेन्द्र सिंह अपने खेतों की रखवाली करे रहे थे, सायं ४ बजे अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ शीलू, भारत सिंह उर्फ बबलू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह, चन्द्रपाल सिंह अपने- अपने हाथों में लाठी कुल्हाड़ी आदि लेकर आये और गाली गलौज करते हुए कहा कि बहुत जमीन की पैमाइश करते हो और चारों मुल्जिमों ने लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी से मारपीट कर वादी के कुआं के खेत में मरणासन्न हालत में कर गम्भीर हालत में डाल दिया। चारों अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से गम्भीर घायल करके भारत सिंह ने अपनी पत्नी श्रीमती सुषमा को रास्ते में मौके पर बुलाकर अपने साथ बलात्कार का झूंठा षडयंत्र रचकर ११२ नम्बर डायल कर पुलिस को मौके पर बुलाया। वादी के दोनों भाइयों को सिर व शरीर में कई गम्भीर चोटें आई हैं। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुये अन्तर्गत धारा- ३२३, ५०४, ३०७, ३४, १२०बी भा०द०सं० में सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए प्रकरण को सत्र सुपुर्द किया गया है। चिकित्सीय आख्या के अनुसार मजरूबों की चोटें कठोर व कुंद वस्तु से आना दर्शित है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा- ३२३, ५०४, ३०७, ३४, १२०बी भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अतः अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोपित किया जाये।

४- आवेदक/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

५- प्रश्नगत आपराधिक घटना के सम्बन्ध में प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- ३२३, ५०४, ३०७, ३४, १२०बी भा०द०सं० में पंजीकृत हुआ है। अभियोजन के अनुसार कथित घटना दिनांक- १०. ०१. २०२४ को वादी मुकदमा के भाई रवीन्द्र सिंह व घनेन्द्र सिंह अपने खेतों की रखवाली करे रहे थे, सायं ४ बजे आवेदक/ अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ शीलू, भारत सिंह उर्फ बबलू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह, चन्द्रपाल सिंह अपने- अपने हाथों में लाठी कुल्हाड़ी आदि लेकर आये और गाली गलौज करते हुए कहा कि बहुत जमीन की पैमाइश करते हो और चारों मुल्जिमों ने लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी से मारपीट कर वादी के कुआं के खेत में मरणासन्न हालत में कर गम्भीर हालत में डाल दिया। चारों अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से गम्भीर रूप से घायल कर अभियुक्त भारत सिंह ने अपनी पत्नी श्रीमती सुषमा को रास्ते में मौके पर बुलाकर अपने साथ बलात्कार का झूंठा षडयंत्र रचकर ११२ नम्बर डायल कर पुलिस को मौके पर बुलाये जाने का अपराध करना बताया गया है तथा वादी के दोनों भाईयों को सिर व शरीर में कई गम्भीर चोटें आना भी बताया गया है। मामले में दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ शीलू, भारत सिंह उर्फ बबलू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह, चन्द्रपाल सिंह व श्रीमती सुषमा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुये अन्तर्गत धारा- ३२३, ५०४, ३०७, ३४, १२०बी भा०द०सं० में सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी है।

६- विधि व्यवस्था **तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश राजन एवं अन्य २०१४ (८४)**

ए०सी०सी० ६५६ के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के प्रकरण में न्यायालय को इस उपधारणा के साथ अग्रसर होना चाहिए कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री सत्य है। उन सामग्रियों एवं दस्तावेजों का जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, इस दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उनके उदभूत होने वाले तथ्यों से अभ्यारोपित आरोप के तथ्य उदघाटित होते हैं, परन्तु इसके लिए उन सामग्रियों अथवा दस्तावेजों की गहनता से परीक्षण आवश्यक नहीं है, वरन उनसे प्रथमदृष्टया अपराध का प्रकटीकरण ही पर्याप्त है। विधि इस प्रक्रम पर लघु विचारण की अनुमति नहीं देती है। इसी क्रम में यह भी सुस्थापित विधि है कि संज्ञान अपराध का लिया जाता है, न कि अपराधी का। अतः आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर कोई व्यक्तिगत अभियुक्त स्वयं के उन्मोचन की अपेक्षा कर सकेगा, यदि वह दर्शित कर सकता है या कर सकती है कि सामग्री अत्यान्तिक रूप से उस विशिष्ट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर ही दोषसिद्धि के प्रयोजन से सामग्री की पर्याप्तता की अपेक्षा नहीं की जाती है और उन्मोचन का अनुरोध केवल तभी अनुज्ञान किया जाता है यदि न्यायालय यह पाता है कि सामग्री विचारण के प्रयोजन से पूर्णतया अपर्याप्त है।

७- विधि की यह भी सुस्थापित प्रत्यास्थापना है कि जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध, यहां तक कि ठोस संदेह उत्पन्न करने वाली सामग्री भी हो, तो न्यायालय उन्मोचन के अनुरोध को नामंजूर करने और विधि के अनुसार संपूर्ण साक्ष्य को अभिलेख पर लाने हेतु अभियोजन को अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा, जिससे कि दोनों ही पक्षों के मामले पर विचारण की समाप्ति पर समुचित रूप से विचार किया जा सकेगा।

८- जहां तक अभियुक्तगण का यह तर्क है कि वादी मुकदमा चुटैलों के बयानों में काफी अन्तर है, चोटें गम्भीर प्रवृत्ति की नहीं है, कोई षडयंत्र होना नहीं पाया जाता है, विवेचना सही नहीं की गई है। वादी मुकदमा पुलिस उपनिरीक्षक के पद से रिटायर्ड है, इस कारण बिना डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त किये ही पुलिस से मिलकर धारा ३०७ भा०द०सं० में रिपोर्ट पंजीकृत करा ली गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट ७ घण्टे के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई कारण अंकित नहीं है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का हेतुक जमीन की पैमाइश कराने को लेकर मारपीट करना बताया है, किन्तु अभियुक्त चन्द्रपाल वादी के परिवार का नहीं है, न ही वादी के आस-पास उसकी खेती की जमीन है और न ही उसका वादी व उसके परिवार से जमीन के विवाद को लेकर कोई भी मुकदमेंबाजी चली है। चुटैलों की सभी चोटें Non Vital Part पर थी, जो सख्त व कुन्दाल वस्तु से आना आई गई थी, कोई गम्भीर चोटें नहीं आई थी, न ही भर्ती रहे, सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त चन्द्रपाल के पुत्र विवेक उर्फ बृजभान ने वादी मुकदमा के विरुद्ध एन०सी०आर० सं०- २२३/ २०२० धारा ३२३, ५०४ भा०द०सं० थाना मऊरानीपुर में पंजीकृत कराई थी, जिससे रंजिश मानते हुए वादी ने पुलिस से सांठ-गांठ करके झूंठे मुकदमा में नाम लिखा दिया है। उक्त समस्त तथ्य साक्ष्य का विषय वस्तु है, जिसके संबंध में उभय पक्ष की साक्ष्य उपरान्त ही कोई निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित है।

९- जहां तक धारा-३०७ भा०द०सं० के अभियोग का प्रश्न है तो **धारा-३०७ भा०द०सं० हत्या करने का प्रयत्न** से संबंधित है, जिसके अनुसार- *जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता,* तो वह उक्त धारा के तहत दोषी होगा। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डे से वादी पक्ष के रवीन्द्र सिंह व घनेन्द्र सिंह को ऐसे ज्ञान व आशय और ऐसी परिस्थितियों में मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई हैं, जिससे उन्हें स्वेच्छया साधारण व फ्रैक्चरयुक्त घोर उपहति कारित हुई है तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी/ डण्डे की बरामदगी भी

की गयी है। प्रश्नगत मामले में उपलब्ध चिकित्सीय आख्या के अनुसार मजरूबगण रवीन्द्र सिंह व घनेन्द्र सिंह को आई चोटें किसी सख्त व कुंद वस्तु से आना अंकित किया गया है तथा दोनों मजरूबों की चोट सं०- १ लगायत ४ को निगरानी में रखने व X-Ray हेतु संदर्भित किया गया है। मजरूब रवीन्द्र सिंह की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में रेडियोलॉजिस्ट के अनुसार चोट नं०- १ बायें कंधे में फ्रैक्चर पाया गया है तथा मजरूब घनेन्द्र सिंह की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में रेडियोलॉजिस्ट के अनुसार चोट नं०- ३ सीने के दायीं ओर ९वीं व १०वीं पसली में फ्रैक्चर पाया जाना अंकित है, जो कि गम्भीर प्रकृति की चोट है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया धारा- ३०७ भा०द०सं० का अभियोग गठित होता है।

१०- प्रश्नगत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक ११. ०१. २०२४ को अभियुक्तगण भारत सिंह उर्फ बबलू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह, चन्द्रपाल सिंह व श्रीमती सुषमा को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ में उन्होंने प्रश्नगत घटना कारित किया जाना स्वीकार किया है तथा अभियुक्त चन्द्रपाल की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दो डण्डा/ लाठी घटना स्थल के पास स्थित कुंए के पास स्थित झाड़ी से बरामद किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के भाईयों रवीन्द्र सिंह व घनेन्द्र सिंह के ऊपर जान से मारने की नियत से लाठी व डण्डे से प्रहार कर उपहति कारित की गई है, जिसमें मजरूब रवीन्द्र के बायें कंधे में तथा घनेन्द्र के सीने के दायीं ओर की ९वी व १०वीं पसली में फ्रैक्चर आना अंकित है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा के भाईयों के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डों आदि से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण व फ्रैक्चरयुक्त गम्भीर उपहति पहुंचाने के कारण धारा- ३०७/ ३४, ३२३/ ३४, ५०४, १२०बी भा०द०सं० के अन्तर्गत अपराध कारित करने का प्रथमदृष्ट्या मामला गठित होता है।

विवेचक द्वारा आवेदक/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- ३२३, ५०४, ३०७, ३४, १२०बी भा०द०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कथित मामला सत्र सुपुर्द होकर आरोप के स्तर पर लम्बित है। आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर अभियोजन के साक्ष्य की बारीकी से समीक्षा करना अपेक्षित नहीं है। उन्मोचन प्रार्थनापत्रों में उल्लिखित तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु हैं, जिनके सम्बन्ध में निष्कर्ष साक्ष्योपरांत ही सम्भव है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया आवेदक/ अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ शीलू, भारत सिंह उर्फ बबलू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह, चन्द्रपाल सिंह व श्रीमती सुषमा के विरुद्ध धारा- ३०७/ ३४, ३२३/ ३४, ५०४, १२०बी भा०द०सं० का अपराध गठित होता है। अतः आवेदक/ अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/ अभियुक्तगण की ओर से धारा- २२७ द०प्र०सं० के अधीन प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र १३बी, १६बी एवं १७बी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/ अभियुक्तगण भारत सिंह उर्फ बबलू, बिपिन सिंह उर्फ शिवराज सिंह, श्रीमती सुषमा एवं अजय सिंह उर्फ शीलू तथा चन्द्रपाल सिंह की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र क्रमशः १३बी, १६बी एवं १७बी **निरस्त** किये जाते हैं। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन **दिनांक- २०. ०८. २०२४** को पेश हो। नियत तिथि पर अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांक- ०६. ०८. २०२४

(पी०एन० मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।